



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद

परिवेश भवन, एन.एस.बी.-2, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पाटलिपुत्र, पटना-800010

पत्रांक :- म/त-3-2019/20/
प्रेषक

पटना, दिनांक:-

आलोक कुमार, भा0व0से0,
सदस्य-सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज-841428.

विषय: मेसर्स भारत सुगर मिल, ग्राम-बुचेया, पो0-सिधवालिया, जिला-गोपालगंज द्वारा सुगर मिल के साथ मोलासेस पर आधारित नई डिस्टीलरी इकाई (इथनॉल) जोड़ने तथा को-जेनरेशन पावर प्लांट की स्थापना परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते लोक सुनवाई की अध्यक्षता करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के आलोक में मेसर्स भारत सुगर मिल, बुचेया, सिधवालिया द्वारा गोपालगंज जिला अन्तर्गत ग्राम-बुचेया, पो0-सिधवालिया, तहसील-सिधवालिया, जिला-गोपालगंज में सुगर मिल के साथ मोलासेस पर आधारित नई डिस्टीलरी इकाई (इथनॉल) जोड़ने तथा को-जेनरेशन पावर प्लांट की स्थापना परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते लोक सुनवाई करने हेतु अनुरोध पत्र वांछित कागजात के साथ उपलब्ध कराया गया है। लोक सुनवाई की अध्यक्षता संबंधित जिला पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि, जो एडिसनल डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट के श्रेणी से कम न हो, द्वारा की जानी है।

सूचित करना है कि प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक-सुनवाई दिनांक 24.06.2019 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में इकाई के परियोजना स्थल** ग्राम-बुचेया, पो0-सिधवालिया, तहसील-सिधवालिया, जिला-गोपालगंज (भारत सुगर मिल के बहिस्त्राव उपचार संयंत्र के नजदीक) में **सुनिश्चित की गयी हैं**। इसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित करायी गयी है, जिसकी छाया प्रति सुलभ जानकारी हेतु संलग्न की जा रही है। आवेदक से प्राप्त परियोजना के ड्राफ्ट ई.आई.ए. एवं कार्यपालक सार (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) की प्रति हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी संलग्न कर भेजी जा रही है, ताकि परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लोगों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित कराया जा सके।

अनुरोध होगा कि लोक सुनवाई की अध्यक्षता उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

- अनुलग्नक: 1. ड्राफ्ट ई.आई.ए. की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति।
2. हिन्दी एवं अंग्रेजी में कार्यपालक सार की प्रति।
3. समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना की छाया प्रति।

विश्वासभाजन्

ह0/-

(आलोक कुमार)
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :-आरक्षी अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि प्रासंगिक लोक सुनवाई के दौरान समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संबंधित थाना को आदेश देने की कृपा की जाय।

ह0/-

(आलोक कुमार)
सदस्य-सचिव

कार्यकारणी संक्षेप

पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन

एवं

प्रबंधन योजना हेतु

प्रस्तावित 100 किलोलीटर प्रतिदिन
शीरा आधारित डिस्टलरी के साथ 4.0 मेगावाट क्षमता
का सह उत्पाद विद्युत संयंत्र

स्थित
गाँव बुचेया, तहसील सिधवालिया,
जिला गोपालगंज (बिहार)

आवेदक

MAGADH
SUGAR & ENERGY LTD

मगध शुगर एण्ड एनर्जी लिमिटेड

युनिट: भारत शुगर मिल्स (डिस्टलरी डिविजन)
पोस्ट ऑफिस सिधवालिया 841423, जिला गोपालगंज (बिहार)

फोन नं. 06151-285423

E-mail: sidhwalia@birla-sugar.in

1.0 परियोजना का विवरण

1.1 परिचय

मगध शुगर एण्ड एनर्जी लिमिटेड यूनिट भारत शुगर मिल्स ने 100 के.एल.पी.डी. शीरा आधारित डिस्टलरी के साथ 4.0 मेगावॉट सह उत्पाद विद्युत संयंत्र गाँव बुचेया तहसील सिधवालिया जिला गोपालगंज बिहार में स्थापना का प्रस्ताव किया है।

प्रस्तावित डिस्टलरी प्लांट भारत शुगर मिल्स सिधवालिया चीनी मिल के पास है, जिसमें 5000 टी.सी.डी. क्षमता है। इस डिस्टलरी के संचालन के लिए शीरा और भूसी को मौजूदा एवं निकटतम चीनी मिलों से प्राप्त किया जाएगा। ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं इसके बाद के संशोधनों के अनुसार उपरोक्त परियोजना श्रेणी 'ए', परियोजना एवं गतिविधि 5 (जी) (डिस्टलरी) के अन्तर्गत आती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा टी.ओ.आर. पत्र संख्या IA-J-11011/402/2018-I(A)II(I) दिनांक 07 जनवरी, 2019 को जारी किया गया।

1.2 परियोजना का संक्षिप्त विवरण

परियोजना के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 1

परियोजना की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	ब्यौरे	विवरण
अ.	परियोजना की प्रकृति	शीरा आधारित डिस्टलरी के साथ सह उत्पादविद्युत संयंत्र
ब.	परियोजना की श्रेणी	ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं इसके बाद के संशोधनों के अनुसार उपरोक्त परियोजना श्रेणी 'ए', परियोजना एवं गतिविधि 5 (जी) (डिस्टलरी) के अन्तर्गत आती है।
स.	स्थान का विवरण	
1.	ग्राम	बुचेया
2.	तहसील	सिधवालिया
3.	जिला	गोपालगंज
4.	राज्य	बिहार
2.	संयंत्र स्थल के भौगोलिक निर्देशांक	
3.	अक्षांश	26°19'59.07"N to 26°20'5.59"N
2.	देशांतर	84°39'36.13"E to 84°39'47.51"E
3.	टोपोशीट संख्या	72B11, 72B12 & 72B15
य.	क्षेत्र विवरण	
1.	कुल संयंत्र क्षेत्र	8.33 एकड़ (3.57 हैक्टेयर)
2.	हरित पट्टिका/पौधारोपण क्षेत्र	कुल संयंत्र क्षेत्र का 33 प्रतिशत यानि 2.91 एकड़ (1.81 हैक्टेयर) हरित पट्टिका और वृक्षारोपण के तहत विकसित किया जाएगा।
र.	पर्यावरणीय स्थिति (परियोजना क्षेत्र से लगभग दूरी एवं दिशा)	
1.	निकटतम गाँव	बुचेया गाँव (0.5 कि.मी. दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा में)
2.	निकटतम कस्बा/शहर	<ul style="list-style-type: none"> सिधवालिया (0.5 कि.मी. पूर्व दिशा में) गोपालगंज जिला मुख्यालय (26 कि.मी. उत्तर पश्चिम दिशा में)

क्र.सं.	ब्यौरे	विवरण
3.	निकटतम राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग	<ul style="list-style-type: none"> एन.एच. 101 (3.8 कि.मी. पूर्व दिशा में) एन.एच. 28 (4.0 कि.मी. पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में)
4.	निकटतम रेलवे स्टेशन	सिधवालिया रेलवे स्टेशन (0.5 कि.मी. पूर्व दिशा में)
5.	निकटतम हवाई अड्डा	जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना (93 कि.मी. दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा में)
6.	राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्यों, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर/हाथी रिजर्व, वन्यजीव गलियारें, संरक्षित वन (पी.एफ.) / आरक्षित वन (आर.एफ.) आदि (10 कि.मी. त्रिज्या में)	कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्यों, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर/हाथी रिजर्व, वन्यजीव गलियारें, संरक्षित वन (पी.एफ.) / आरक्षित वन (आर.एफ.) आदि 10 कि.मी. त्रिज्या में नहीं है।
7.	नदी/जल स्रोत (10 कि.मी. त्रिज्या में)	<ul style="list-style-type: none"> नहर (1.0 कि.मी. दक्षिण दिशा में) गंडक नदी (9.0 कि.मी. पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में) अध्ययन क्षेत्र में कुछ मौसमी जल निकाय हैं:- <ul style="list-style-type: none"> घोघरी नदी (1.2 कि.मी. पश्चिम दिशा में) सोलैया नदी (4.0 कि.मी. उत्तर पश्चिम दिशा में) धमाल नदी (4.8 कि.मी. पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में) तेलिया नदी (5.2 कि.मी. दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा में) घंघारी नदी (6.3 कि.मी. दक्षिण पूर्व दिशा में)
8.	भूकंपीय क्षेत्र	चतुर्थ (हाइड्रोमैज रिस्क जोन) आई.एस. : 1893 (पार्ट I) 2002 के अनुसार
ल.	लागत विवरण	
1.	विस्तार परियोजना की कुल लागत	152.30 करोड़ रुपये
2.	पर्यावरण संरक्षण के उपाय के लिए लागत	<ul style="list-style-type: none"> कुल लागत- 30 करोड़ रुपये आवर्ती लागत- 2.0 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष
व.	कार्य दिवस	350 दिन/वर्ष
प.	उत्पाद	इथेनॉल, पावर
फ.	सह-उत्पाद	सी.ओ.2

स्रोत: परियोजना भ्रमण और प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट

1.3 परियोजना के लिए आवश्यकताएँ

कच्चे माल की आवश्यकता

परियोजना के लिए कच्चे माल की मात्रा, स्रोत एवं यातायात प्रणाली का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 2

शीरा आधारित ऑपरेशन के लिए कच्चे माल और रसायनों की आवश्यकता

क्र. सं.	विशेष	कुल आवश्यकता	भण्डारण	कच्चे माल का स्रोत एवं परिवहन का तरीका
1.	शीरा	478 मीट्रिक टन/दिन	टैंकर	स्वयं एवं पास की चीनी मिलों से सड़क एवं पाईप लाईन द्वारा
2.	रसायन			
	सोडियम हाइड्रोक्साइड (कॉस्टिक)	200 किलो/दिन	50 किग्रा बैग में पैक किया हुआ (ठोस रूप) और गोदाम में संग्रहित	बाजार से सड़क के माध्यम से
	पोषक तत्व	300 किलो/दिन	50 किग्रा बैग में पैक किया हुआ (ठोस रूप) और गोदाम	

प्रस्तावित 100 किलोलीटर प्रतिदिन शीरा आधारित डिस्टलरी के साथ 4.0 मेगावॉट क्षमता का सह उत्पाद विद्युत संयंत्र स्थित गाँव बुचेया, तहसील सिधवालिया, जिला गोपालगंज (बिहार)

ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट का कार्यकारिणी संक्षेप

		में संग्रहित	
एनजाइम	6.0 किलो/दिन	कैन में पैक (तरल रूप) और गोदाम में संग्रहित	
एंटीफोम एजेन्ट	300 किलो/दिन	कैन में पैक (तरल रूप) और गोदाम में संग्रहित	
खमीर (सक्रिय सूखी खमीर/ डिस्टलर्स खमीर)	संयंत्र के भीतर	-	

स्रोत: प्री-फिजीबिलटी रिपोर्ट

1.3.1 ईंधन की आवश्यकता

आवश्यक ईंधनकी मात्रा के बारे में विवरण, प्रस्तावित परियोजना के लिए परिवहन की दूरी और माध्यम के साथ उनके स्रोत नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं।

तालिका- 3

ईंधन की आवश्यकता

क्र. सं.	सामग्री का नाम	आवश्यकता (टी.पी.डी.)	भंडारण	सामग्री का स्रोत
1.	केंद्रित स्पेन्ट वॉश	315	-	पाईपलाईनों के माध्यम से स्वयं के संयंत्र से
2	खोई	200	ढके हुए शेड	कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्वयं की चीनी मिल से
	चावल की भूसी	140		सड़क मार्ग से स्थानीय विक्रेताओं द्वारा
	कोयला	55		खुला बाजार

स्रोत: प्री-फिजीबिलटी रिपोर्ट

1.3.2 अन्य बुनियादी आवश्यकताएं

परियोजना के लिए अन्य बुनियादी आवश्यकताएं नीचे दी गई तालिका में दी गई हैं।

तालिका 4

परियोजना के लिए बुनियादी आवश्यकताएं


क्र. सं.	विवरण	आवश्यकता	स्रोत
1.	पानी	770 के.एल.पी.डी. (डिस्टलरी 746 और 24 के.एल.पी.डी. अन्य)	भूजल
2.	बिजली	3.0 मेगावॉट	4.0 मेगावॉट सह उत्पाद विद्युत संयंत्र
3.	श्रमशक्ति	89 व्यक्ति नियमित	अकुशल/अर्द्ध कुशल - स्थानीय क्षेत्र कुशल - स्थानीय एवं बाहरी
4.	भाप	25.82 टी.पी.एच.	35 टी.पी.एच. इनसिनरेशन बॉयलर

स्रोत: प्री-फिजीबिलटी रिपोर्ट

1.4 प्रक्रिया विवरण

डिस्टलरी प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- शीरा अनलोडिंग और स्टोरेज
- खमीर उत्पादन
- किण्वन
- बहु दबाव डिस्टिलेशन
- बहु प्रभाव वाष्पीकरण
- इनसिनरेशन बॉयलर
- शराब दैनिक रिसीवर एवं भंडारण



आरेख संख्या 1: शीरा आधारित डिस्टलरी प्रक्रिया चार्ट

1.5 पर्यावरण का विवरण

1.5.1 परिणामों की प्रस्तुती (वायु, जल, ध्वनि एवं मिट्टी)

अध्ययन क्षेत्र का पर्यावरणीय आधारभूत अध्ययन हेमन्त ऋतु (अक्टूबर से दिसम्बर, 2018) में किया गया है। परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी 24 घंटे के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में 8 स्थानों पर की गई है PM_{2.5} और PM₁₀ की सांद्रता 27.6 से 46.6 माईक्रोग्राम प्रतिघनमीटर, एवं 59.2 से 90.3 माईक्रोग्राम प्रतिघनमीटर के बीच क्रमशः पाई गई है।

SO₂ और NO₂ की सांद्रता 13.8 से 27.2 माईक्रोग्राम प्रतिघनमीटर एवं 6.3 से 16.5 माईक्रोग्राम प्रतिघनमीटर के बीच क्रमशः पाई गई है।

व्यापक ध्वनिके स्तर का अध्ययन क्षेत्र के 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र के 8 स्थानों में मापन किया गया। ध्वनि का स्तर दिन के समय में 48.7 से 61.0 LeqdB(A) और रात के समय 36.4 से 49.7 LeqdB(A) मापी गई।

सभी सैम्पलिंग स्थानों पर भू-जल विश्लेषण pH 6.97 से 7.53, कुल क्षारीयता 209.0 से 577.5 मिलीग्राम प्रतिलीटर, टी.डी.एस 324 से 1434 मिलीग्राम प्रतिलीटर है।

मिट्टी का विश्लेषण 7 स्थानों पर किया गया एवं विश्लेषण परिणाम से पता चलता है कि मिट्टी थोड़ा क्षारीय प्रकृति की है, pH 8.18 से 8.46 ऑर्गेनिक मैटर 0.73 से 2.67 प्रतिशत है। मृदा की संरचना सिल्टी रेतीला लोम है। उपलब्ध नाईट्रोजन की सीमा 131.66 से 200.40 किलोग्राम/हैक्टेयर है, जिससे ज्ञात होता है कि नाईट्रोजन पर्याप्त मात्रा में है और फॉस्फोरस 34.47 से 86.40 किग्रा/हैक्टेयर की सीमा में मौजूद है जो औसत मात्रा है। जबकि पोटेसियम 111.56 से 323.82 किग्रा/हैक्टेयर है जो कि औसत से उपर है।

1.5.2 जैव पर्यावरण

वनस्पति : इस क्षेत्र में पायी जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ— नीम, जामुन, अमलताश, शीशम, आम, सीताफल, आंवला, बेल आदि है।

जीव-जन्तु: इस क्षेत्र में पायी जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ-बंदर, छिपकली, कबूतर आदि है।

1.5.3

सामाजिक आर्थिक पर्यावरण

2011 की जनगणना के अनुसार 10 कि.मी. अध्ययन क्षेत्र की आबादी 407780 है। जिसका 11.26 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति 1.45 प्रतिशत है। साक्षरता दर 59.93 प्रतिशत है तथा कार्यरत श्रमिक 27.33 प्रतिशत है। इनमें से 53.69 प्रतिशत मुख्य श्रमिक है तथा 46.30 प्रतिशत सीमांत श्रमिक है।

2.0

पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम

ई.सी./सी.टी.ओ. की शर्तों के अनुसार विभिन्न पर्यावरणीय घटकों के लिए पर्यावरण निगरानी अनुसूची/आवृत्ति किया जाएगा जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 5
परियोजना के बाद की निगरानी

क्रं. सं.	विवरण	निगरानी की आवृत्ति	निगरानी स्थल
1.	परिवेशी वायु गुणवत्ता विश्लेषण	ई.सी./सी.टी.ओ. की शर्तों के अनुसार	3-4 स्थानों परसंयंत्र क्षेत्र में और उसके आसपास
2.	चिमनी की मॉनिटरिंग	निरन्तर निगरानी	संयंत्र क्षेत्र (बॉयलर)
3.	जल की गुणवत्ता	मासिक	संयंत्र क्षेत्र में व उसके आसपास
4.	प्रवाह की गुणवत्ता	प्रतिदिन (स्वयं की प्रयोगशाला में)	ई.टी.पी. आउटलेट
5.	ध्वनि स्तर की निगरानी	ई.सी./सी.टी.ओ. की शर्तों के अनुसार	संयंत्र क्षेत्र में और उसके आसपास
6.	मृदा गुणवत्ता	वार्षिक	संयंत्र क्षेत्र में और उसके आसपास
7.	कर्मचारियों का स्वास्थ्य जांच	वार्षिक	आसपास के अस्पताल/दवाखाने।

3.0

अतिरिक्त अध्ययन

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक संख्या IA-J-11011/402/2018-I (A) II (I) दिनांक 07 जनवरी, 2019 द्वारा जारी किए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार परियोजना के लिए अतिरिक्त अध्ययन में सार्वजनिक जन सुनवाई एवं जोखिम मूल्यांकन एवं आपदा प्रबंधन योजना सम्मिलित है।

4.0

परियोजना लाभ

मगध शुगर एण्ड एनर्जी लिमिटेड यूनिट भारत शुगर मिल्स परियोजना से आसपास के क्षेत्रों में विकास के साथ साथ और बुनियादी सुविधाएँ जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार के अवसर बढ़ाना और क्षेत्रों के विकास में सहायता होगी। सामाजिक सुविधाओं का विकास, चिकित्सा सुविधा, स्वयं सहायता समूह से वंचित लोगों के लिए शिक्षा के रूप में होगा। राज्य को कर के रूप में राजस्व मिलेगा और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलेगा। स्थानीय समुदाय के लिए व्यवसायिक अवसर उपलब्ध होंगे। पर्यावरण पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव की परिकल्पना नहीं की गई है क्योंकि उसके लिए शमन के उपाय किए जाएंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र दिनांक 01 मई 2018 के अनुसार कम्पनी व्यवसायिक पर्यावरण जिम्मेदारी कार्यक्रमों में 2.28 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

5.0

पर्यावरण प्रबंधन योजना

आसपास के वातावरण पर परियोजना के प्रभावों को कम करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाए जाने वाले शमन उपाय:

तालिका 6
पर्यावरण प्रबन्धन योजना

विवरण	विस्तार
वायु गुणवत्ता प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> प्रस्तावित बॉयलर के साथ ई.एस.पी. या बैग फिल्टर निर्धारित सीमा में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को बनाए रखने के लिए प्रदान किया जाएगा। सी.पी.सी.बी. के मानकों के अनुसार बॉयलर के गैसीय उत्सर्जन के लिए प्रयाप्त उँचाई की चिमनी स्थापित की जाएगी। किण्वन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न CO₂ को CO₂ स्क्रबर का उपयोग कर एकत्रित किया जाएगा एवं अधिकृत विक्रताओं को बेचा जाएगा। फ्यूजिटिव उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए सभी आंतरिक सड़को को पक्का एवं साफ किया जाएगा। संयंत्र परिसर और परिधि के आसपास हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा और उसी को बनाए रखा जाएगा। ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों और सुझाई गई सीमा में बनाए रखने के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी।
जल प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> डिस्टलरी शून्य प्रवाह निर्वहन पर आधारित होगी। स्पेन्ट वॉश: ऑपरेशन के दौरान एनलाईजर कॉलम से उत्पन्न स्पेन्ट वॉश को इंटीग्रेटेड एवं स्टेण्ड अलोन मल्टी इफेक्ट इवैपोरेटर (एम.ई.ई.) में केंद्रित किया जाएगा। ठोस को पूर्ण इनसिनरेशन के लिए विशेष बॉयलर में डाला जाएगा। पूरा स्पेन्ट वॉश एकत्रित कर जला दिया जाएगा और उसे पर्यावरण में प्रवाह नहीं किया जाएगा। प्रक्रिया कंडेनसेट: एम.ई.ई. से उत्पन्न प्रक्रिया कंडेनसेट को सी.पी.यू. में उपचारित और पॉलिस किया जाएगा और प्रक्रिया और कूलिंग टॉवर में पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा। स्पेन्ट लीस: स्पेन्ट लीस पूरी तरह से सी.पी.यू. में इस्तेमाल किया जाएगा और प्रक्रिया में पुनरावृत्ति की जायेगी। घरेलु अपशिष्ट जल का उपचार प्रस्तावित एस.टी.पी. में किया जाएगा। वैज्ञानिक रूप से डिजाईन किए गए वर्षाजल संग्रहण प्रणाली के माध्यम से जल को एकत्रित कर भूमिगत संसाधन को रिचार्ज किया जाएगा। पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा।
ध्वनि प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> नियमित अंतराल में मशीनों का रखरखाव ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाएगी। उच्च ध्वनि स्तर के सम्पर्क में रहने वाले श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे ईयर प्लग एवं ईयरमफ्स प्रदान किए जाएंगे। कुल संयंत्र क्षेत्र की 33 प्रतिशत भूमि पर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। ध्वनि स्तर को निर्धारित करने के लिए डी.जी. सेट को ध्वनिरोधी कक्षों में रखा जाएगा। ध्वनि स्तर की निरंतर निगरानी की जायेगी एवं भविष्य में संबंधित मशीनरी में सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।
ठोस एवं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> केंद्रित स्पेन्ट वॉश को स्लोप फायर्ड बॉयलर में पूरक ईंधन (खोई/चावल की भूसी/कोयला) के साथ इनसिनरेट किया जायेगा। ऐश को पोषक पदार्थ की समृद्ध सामग्री के कारण खाद में उपयोग किया जायेगा या उर्वरक निर्माताओं को बेचा जाएगा। फिल्टर स्लज को ऑर्गेनिक मैटर के निर्माण के लिए प्रेस मड के साथ मिश्रित किया जाएगा।

	<ul style="list-style-type: none"> प्लांट मशीनरी/गियर बॉक्स से उत्पन्न ऑयल को अधिकृत रिसाईक्लर्स को बेचा जाएगा।
हरित पट्टिका का विकास	<ul style="list-style-type: none"> कुल संयंत्र क्षेत्र (8.83 एकड़) में से लगभग 33 प्रतिशत भूमि अर्थात 2.9 एकड़ में हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। वृक्षारोपण सी.पी.सी.बी. मानकों के अनुसार किया जाएगा। संयंत्र सीमा एवं सड़क के समानान्तर हरित पट्टिका विकास किया जाएगा। जिससे ध्वनि स्तर कम होगा, धूल उत्सर्जन नियंत्रित रहेगा एवं पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। स्थानीय उद्यान विशेषज्ञ के परामर्श से स्थानीय देशी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रस्तावित ईकाई के निर्माण गतिविधियों के शुरुआत के साथ ही हरित पट्टिका और वृक्षारोपण शुरू हो जाएगा। स्थानीय प्रजातियों के पौधों को डी.एफ.ओ. के परामर्श से लगाया जाएगा।
गंध प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> संयंत्र परिधि में पर्याप्त हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। उचित तरीके से सी.ओ.2 एवं एल्कोहल को इकट्ठा करने से अन्य गंध से बचा जा सकता है। बेहतर हाउसकीपिंग द्वारा सभी किण्वन उपकरणों पर नियमित स्टीमिंग की जाएगी जिससे स्वच्छता बनी रहे। लंबे समय तक उत्पाद/उत्पादों का भण्डारण नहीं किया जाएगा एवं जीवाणु संक्रमण से नियंत्रित करने के लिए बॉयो-साइडस का उचित उपयोग किया जाएगा। सड़ने वाले सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति से बचने के लिए नालियों में नियमित रूप से कीटाणुनाशकों का उपयोग किया जाएगा।

6.0 निष्कर्ष

प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों को फायदेमंद साबित होगी क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़कों के निर्माण, पानी की उपलब्धता आदि को आसपास के गांवों में विकसित किया जाएगा। क्षेत्र पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि स्वीकार्य सीमा के भीतर विभिन्न प्रदूषकों को रखने के लिए पर्याप्त निवारक उपायों को अपनाया जाएगा। पर्यावरण के सभी घटकों की नियमित निगरानी की जाएगी। परियोजना क्षेत्र के आसपास हरित पट्टिका का विकास न्यूनीकरण तकनीक के रूप में किया जाएगा साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा।

